रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276357
CG-DL-E-21092026-276357

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
No. 715] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2026

सा.का.नि. 783(अ).— केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 116, धारा 117 और धारा 123 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 130 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) तथा धारा 319 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (कार्गो का वहन) नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना — जब तक अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी अन्य नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे—

(क) सभी भारतीय पोत, सिवाय उन पोतों के जो अधिनियम के भाग 13 के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं भी इन नियमों में विनिर्दिष्ट कार्गो को ले जा रहे हैं या ले जाने वाले हैं;

(ख) भारतीय पोतों के सिवाए वे सभी पोत, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट कार्गों को ले जा रहे हैं या ले जाने वाले हैं, जब वे भारत के तटीय जल क्षेत्रों, पत्तनों या अन्य स्थानों सहित भारत के अंदर हों;

(ग) वे पोत जो भारत में तत्समय लागू किसी भी विधि के अधीन भारत के पत्तनों पर खतरनाक कार्गों का लदान कर रहे हों या उन्हें उतार रहे हैं।

3. परिभाषाएँ-- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासन" से समुद्री प्रशासन के महानिदेशक अभिप्रेत हैं;

(ग) "कार्गो परिवहन इकाई" से नौभार कंटेनर, स्वैप बॉडी, वाहन, रेलवे वैगन या कोई ऐसी ही अन्य इकाई अभिप्रेत है, विशेष रूप से जब इसका उपयोग इंटरमॉडल परिवहन में किया जाता है;

(घ) "कार्गो इकाई" से वाहन, कंटेनर, फ्लैट, पैलेट, पोर्टेबल टैंक, पैकेज्ड इकाई, या कोई अन्य इकाई आदि, और पोत से संबंधित किंतु पोत से स्थायी रूप से जुड़ी न होने वाले लदान उपकरण या उसका कोई हिस्सा अभिप्रेत है;

(ड.) "केमिकल टैंकर" से एक ऐसा कार्गो पोत अभिप्रेत है जिसे थोक में किसी भी ऐसे तरल उत्पाद को ले जाने के लिए निर्मित या अंगीकृत किया गया है और उपयोग किया जाता है, जो 'अंतर्राष्ट्रीय थोक खतरनाक रसायन वाहक पोत का निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता यथा संशोधित, के अध्याय 17 में सूचीबद्ध है;

(च) "तरलीकृत गैसों के थोक में वाहक पोतों के निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव A.3289 (IX) द्वारा अपनायी गयी संहिता अभिप्रेत है, जो 31 अक्टूबर, 1976 के बाद और 1 जुलाई, 1986 से पहले बनाए गए पोतों पर लागू होती है;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से प्रशासन या इन नियमों के अधीन कोई भी कार्य करने के लिए प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "खतरनाक माल" से थोक में पैकेज्ड रूप या ठोस रूप में वह किया जाने वाला खतरनाक कार्गो अभिप्रेत है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता में समुद्री प्रदूषकों के रूप में पहचाने गए हानिकारक पदार्थ शामिल हैं;

(झ) "थोक में ठोस रूप में खतरनाक माल" से तरल या गैस के अलिखित कोई भी ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें कणों, दानों या सामग्री के किसी बड़े टुकड़ों का संयोजन होता है, जो संरचना में आम तौर पर एक समान होते हैं, जो 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता' के अंतर्गत

आते हैं और जिन्हें बिना कन्टेनमेंट किसी मध्यवर्ती कंटेनर के सीधे पोत की कार्गो जगह में लादा जाता है, और इसमें बार्ज वहन पोत पर बार्ज में लदान की गई ऐसी सामग्री भी शामिल है;

(ञ) "दस्तावेज़" में 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता' के अध्याय 5.4 में विनिर्दिष्ट कागजी दस्तावेज़ीकरण के वैकल्पिक साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रंसस्करण और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज संचारण तकनीक का उपयोग शामिल है;

(ट) "गैस वाहक" से ऐसा कार्गो पोत अभिप्रेत है जिसे थोक में किसी भी तरल गैस या 'अंतर्राष्ट्रीय थोक तरल गैस वाहक पोत का निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता' के अध्याय 19 में विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य उत्पाद के वहन के लिए निर्मित या अंगीकृत गया हो और उपयोग किया जाता हो;

(ठ) "उच्च स्तरीय विकिरण अपशिष्ट" से विकिरण परमाणु ईंधन का पुन:प्रसंस्करण करने वाली सुविधा में, पहले चरण के निष्कर्षण प्रणाली के प्रचालन से निकलने वाला तरल अपशिष्ट या बाद के निष्कर्षण प्रणाली से निकला सान्द्र अपशिष्ट, या ऐसे तरल अपशिष्ट से बने ठोस पदार्थ अभिप्रेत है;

(ड) "अंतर्राष्ट्रीय थोक खतरनाक रसायन वाहक पोत का निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनायी गयी 'अंतर्राष्ट्रीय थोक खतरनाक रसायन वाहक पोत का निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता', समय-समय पर यथा संशोधित अभिप्रेत है, जो 1 जुलाई, 1986 को या उसके बाद निर्मित पोतों पर लागू होती हो;

(ढ) "अंतर्राष्ट्रीय थोक तरल गैस वाहक पोत का निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनायी गयी 'अंतर्राष्ट्रीय थोक तरल गैस वाहक पोत का निर्माण और उपकरण संबंधी संहिता', समय-समय पर यथा संशोधित अभिप्रेत है, जो 1 जुलाई, 1986 को या उसके बाद निर्मित पोतों पर लागू होता हो;

(ण) "आईएमडीजी संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव A.716(17) द्वारा अपनायी गयी 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता', समय-समय पर यथा संशोधित अभिप्रेत है;

(त) "आईएनएफ कार्गो" से पैकेज्ड विकिरणित परमाणु ईंधन, प्लूटोनियम और उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता की श्रेणी 7 के अनुसार कार्गो के रूप में वहन किया जाता है;

(थ) "विकिरणित परमाणु ईंधन" से यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम समस्थानिकों अथवा इनके संयोजन से युक्त सामग्री अभिप्रेत है, जिसका उपयोग आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए किया गया है;

(द) "समुद्री प्रदूषक" से ऐसे पदार्थ अभिप्रेत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पोत प्रदूषण रोकथाम समझौता, 1973/1978, यथासंशोधित, के उपाबंध III के उपबंधो के अध्यधीन हैं;

(ध) "मार्पोल" से अंतर्राष्ट्रीय पोत प्रदूषण रोकथाम समझौता,1973/1978 समय-समय पर यथा संशोधित अभिप्रेत है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाया गया प्रोटोकॉल भी शामिल है;

(न) "पैकेज्ड रूप" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता में विनिर्दिष्ट कंटेनमेंट का रूप

अभिप्रेत है;

(प) "प्लूटोनियम" से उस पदार्थ के समस्थानिकों का परिणामी मिश्रण अभिप्रेत है जो विकिरणित परमाणु ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण से निकाला जाता है;

(फ) "पत्तन देश प्राधिकारी" से क्षेत्राधिकार प्राप्त व्यापारिक समुद्री विभाग अभिप्रेत है;

(ब) "मान्यता प्राप्त संगठन" से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसका आकलन और अनुमोदन, प्रशासन द्वारा उसकी ओर से अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दस्तावेजों और राष्ट्रीय विधान के अधीन प्रत्यायोजित सांविधिक प्रमाणीकरण और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन प्रस्ताव एमएससी द्वारा अपनाई गई मान्यता प्राप्त संगठनों संबंधी संहिता, यथा संशोधित का अनुपालन करते हुए पाया गया है।

(भ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(म) "सोलास समझौता" या "सोलास" से प्रवृत्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1974 अभिप्रेत है, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनायी गयी प्रोटोकॉल संहित शामिल है;

(य) "यूएन नंबर" से अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता में किसी खतरनाक पदार्थ को आबंटित क्रम संख्या अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दो और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर समझौता, 1972, अंतरराष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974, अंतर्राष्ट्रीय पोत प्रदूषण रोकथाम समझौता, 1973/1978 तथा लागू संहिताओं में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन्हें यथास्थिति अधिनियम में तथा उन लागू विनियमों, संहिताओं तथा समझौतों में, क्रमश: दिए गए हैं।

अध्याय 2
पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल का वहन

4. इस अध्याय का अनुप्रयोग—यह अध्याय—

(क) 500 सकल टन से कम भार वाले पोतों सहित सभी पोतों पर लागू होता है, जो पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल ले जाते हैं;

(ख) किसी पोत के माल और उपकरणों, जैसे बचाव कार्य के उपकरण, यदि कोई हों, सहित पर लागू नहीं होता है।

5. वहन संबंधी अपेक्षाएं— (1) इस अध्याय के नियमों के अनुसार के सिवाय पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल का वहन का प्रतिषेध है;

(2) पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल का वहन, आईएमडीजी संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन में होगा।

(3) खतरनाक माल ले जाने वाले पोत को सोलास विनियम II-2/19 में विनिर्दिष्ट विशेष अपेक्षाओं का पालन करना होगा और नियमों का पालन सुनिश्चित होने पर, सक्षम अधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन उपाबंध-I के अनुसार अनुपालन का दस्तावेज़ जारी करेगा।

(4) आईएमडीजी संहिता के अधीन समुद्री प्रदूषक माने जाने वाले खतरनाक माल को ले जाने वाले पोत को मारपोल समझौते के उपाबंध III में यथा विनिर्दिष्ट लागू अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के पूरक के रूप में, प्रशासन निम्नलिखित पर अधिनियम की धारा 301 के अधीन नोटिस, परिपत्र, आदेश या दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, अर्थात्:––

(क) पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल से जुड़ी घटनाओं से संबंधित सुसंगत आपातकालीन प्रतिक्रिया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव (एमएससी.1/सर्क.1588) द्वारा, यथा संशोधित, अपनाए गए खतरनाक माल (ईएमएस गाइड) ले जाने वाले पोतों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के मानक के अनुसार तैयार किया जाएगा;

(ख) पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल से जुड़ी घटनाओं से संबंधित चिकित्सीय प्राथमिक उपचार खतरनाक माल से जुड़ी दुर्घटनाओं में उपयोग के लिए 'चिकित्सीय प्राथमिक उपचार दिशा-निर्देश(एमएफएजी)' के अनुसार प्रदान किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा प्रकाशित आईएमडीजी संहिता के पूरक में दिया गया है।

(6) मध्यवर्ती थोक कंटेनर सहित खतरनाक माल पैकेजों के वहन को आईएमडीजी संहिता के अध्याय 5.2 के अनुसार चिह्नित और लेबल किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे यात्रा की अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले और अक्षुण्ण रहें, उपयोग किए जाने वाले लेबलों की गुणवत्ता उचित मानकों की होगी।

(7) खतरनाक माल वाले कार्गो परिवहन इकाइयों और थोक कंटेनरों के वहन पर आईएमडीजी संहिता के अध्याय 5.3 के अनुसार निशान और लेबल लगाए जाएंगे और उपयोग किए जाने वाले लेबल की गुणवत्ता उचित मानकों की होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यात्रा की अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दें और अक्षुण्ण रहें।

(8) आईएमडीजी संहिता की धारा 1.3.1.2 में यथा परिभाषित सभी तट-किनारे के कार्मिक, जो समुद्र के रास्ते खतरनाक माल के वहन, हैंडलिंग, नौभरण, दस्तावेजीकरण, पृथक्करण और परिवहन से संबंधित कार्यों में लगे हैं, उन्हें आईएमडीजी संहिता के अध्याय 1.3 और 1.4 में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा।

(9) आईएमडीजी श्रेणी के कतिपय कार्गो,––

(क) यदि उनके परिवहन के लिए सीमित मात्रा में पैक किया गया हो, तो उन्हें आईएमडीजी संहिता के अध्याय 3.4 के उपबंधों का पालन करना होगा;

(ख) छूट वाली मात्रा में भेजा जा सकता है, परंतु वह आईएमडीजी संहिता के अध्याय 3.5 के नियमों का पालन करे।

(10) कोई भी खतरनाक माल, जिस पर आईएमडीजी संहिता के अध्याय 3.3 के अनुसार विशेष उपबंध लागू होते हैं, उक्त उपबंध का पालन करेंगे।

(11) खतरनाक माल के वहन के लिए, प्रशासन, यात्रा की पूरी अवधि के लिए सुरक्षा उपायों का

समाधान होने पर, ऐसे माल के पुर्नवर्गीकरण या परिवहन की अनुमति दे सकता है।

6. दस्तावेज - किसी भी अन्य दस्तावेज, जैसा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो, के अतिरिक्त खतरनाक माल के वहन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित होंगे, अर्थात्: -

(क) आईएमडीजी संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसार पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल के वहन से संबंधित परिवहन जानकारी और खतरनाक माल की घोषणा के साथ कंटेनर या वाहन पैकिंग प्रमाणपत्र और इसकी प्रमाणित प्रति क्षेत्राधिकार वाले पत्तन देश प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) आईएमडीजी संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसार, प्रस्थान करने वाले पोतों के लिए विशेष सूची, मालसूची या नौभरण योजना, पोत पर खतरनाक माल और उसके स्थान को दर्शाना और ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि क्षेत्राधिकार वाले पत्तन देश प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) मारपोल समझौता के सोलास अध्याय-7, उपाबंध 3 और आईएमडीजी संहिता के अध्याय 5.4 के अनुसार दस्तावेज़ीकरण।

7. कार्गो को सुरक्षित करना, नौभरण और पृथक्करण अपेक्षाएं— (1) पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल का लदान करने वाले पोत के पोतवणिक और मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोत पर लादे जा रहे खतरनाक माल को संशोधित आईएमडीजी संहिता के लागू उपबंधों के अनुसार पैक, लेबल और वर्गीकृत किया गया है।

(2) कार्गो इकाइयों और कार्गो परिवहन इकाइयों से युक्त पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल ले जाने वाले प्रत्येक पोत को--

(क) आईएमडीजी संहिता के लागू उपबंधों के अनुपालन में लोड और भरा जाएगा;

(ख) सक्षम अधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा यथा स्वीकृत कार्गो को सुरक्षित करने संबंधी मैनुअल के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन प्रस्ताव (MSC.1/Circ.1353) द्वारा यथा संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(3) मध्यवर्ती थोक कंटेनर और बड़ी पैकिंग सहित प्रत्येक आईएमडीजी कार्गो इकाई की पैकिंग को आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केंद्र द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जो आईएमडीजी संहिता के अनुसार प्रशासन द्वारा अनुमोदित एक इकाई या संगठन होगा और आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केंद्र का अनुमोदन उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार किया जाएगा।

(4) भारतीय पत्तनों पर आईएमडीजी कार्गो का लदान करने वाले सभी पोतों को संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग को पर्याप्त समय पहले नौभरण योजना (माल रखने की योजना) प्रस्तुत करना होगा। समुद्री वाणिज्य विभाग के सर्वेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पोतों का निरीक्षण कर सकते हैं कि सभी सुसंगत लागू नियमों का पालन किया जा रहा है:

परन्तु यह कि आईएमडीजी संहिता में यथा परिभाषित आईएमडीजी श्रेणी 1 और श्रेणी 7 कार्गो के वहन के संबंध में, अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक, पोत पर माल नौभरण पहलुओं का निरीक्षण करेगा और ऐसे कार्गो के साथ पोत को पत्तन से बाहर जाने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करेगा।

(5) आईएमडीजी श्रेणी 1, खण्ड 1.1 के अंतर्गत विस्फोटकों का लदान या उन्हें उतारने का काम केवल उन स्थानों या पत्तनों पर किया जाएगा, जिन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 (1884 का 4) के

अंतर्गत मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा या भारतीय संघ की सशस्त्र सेनाओं के किसी भी प्रतिष्ठान और आयुध कारखानों विनिर्दिष्ट और अनुमोदित किया गया हो

(6) आईएमडीजी श्रेणी 7 के अधीन आने वाली रेडियोधर्मी सामग्री केवल उन्हीं जगहों या पत्तनों पर लोड या अनलोड किए जाएंगे जिन्हें 'भारत के रूपांतरण के लिए नाभकीय ऊर्जा का सघारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम, 2025' (2025 का 36) के अधीन सक्षम अधिकारी ने तय और मंजूर किया हो और जिनकी देखरेख में यह काम हो रहा हो।

(7) आईएमडीजी संहिता में यथा वर्गीकृत समुद्री प्रदूषक माने जाने वाले खतरनाक माल के वहन को आईएमडीजी संहिता तथा मारपोल समझौते के उपाबंध 3 के अनुसार भरा सुरक्षित किया जाएगा।

(8) खतरनाक माल वाले अपशिष्टों का उनके खतरों और आईएमडीजी संहिता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उचित श्रेणी के उपबंधों के अधीन परिवहन किया जाएगा और जो अपशिष्ट अन्यथा आईएमडीजी संहिता के अध्यधीन नहीं हैं, लेकिन जो बेसल समझौता, 1989 के अधीन शामिल हैं, उनका श्रेणी 9 के अधीन परिवहन किया जा सकता है और उन्हें आईएमडीजी संहिता के लागू उपबंधों का पालन करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन से, "बेसल समझौता" अभिव्यक्ति से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया समय-समय पर यथा संशोधित 'खतरनाक अपशिष्ट का सीमा-पार आवागमन और उनके निपटान संबंधी समझौता, 1989', अभिप्रेत है।

8. रिपोर्टिंग— (1) जब पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल के समुद्र में गिरने या गिरने की संभावना वाली कोई घटना होती है, तो पोत के मास्टर या उसके प्रभारी अन्य व्यक्ति को ऐसी घटना का विवरण 'उपबंध – 3' में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार शीघ्रतम किंतु चौबीस घंटे के भीतर और यथा संभव पूरी तरह से रिपोर्ट करना होगा और यदि भारतीय पोत विदेशी जलक्षेत्र में है, तो उसे निकटतम तटीय देश और उस देश को भी रिपोर्ट करना होगा जो उस घटना से प्रभावित है या जिसके प्रभावित होने की संभावना है।

(2) ऐसी घटना की रिपोर्टिंग 'उपबंध – 3' के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव क.851(20) द्वारा अपनाए गए है यथा संशोधित खतरनाक माल या हानिकारक पदार्थों या समुद्री प्रदूषकों से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में और उसके और अनुरूप की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक घटना से खतरनाक माल ले जाने वाले पोतों संबंधी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं (ईएमएस गाइड) और आईएमडीजी संहिता के पूरक भाग में यथा विनिर्दिष्ट बताया गया है। यथा संशोधित चिकित्सा प्राथमिक सहायता का परिव्यक्त किए जाने गाइड (एमएफएजी) के लागू उपबंधों के अनुसार निपटा जाएगा।

(4) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पोत या ऐसे पोत से रिपोर्ट के अधूरी होने या नहीं मिल पाने की स्थिति में, मास्टर पर विद्यामान दायित्व के अलावा, कंपनी, सोलास विनियम IX/1.2 में यथा परिभाषित, मास्टर पर डाले गए दायित्वों को यथासंभव सीमा तक ग्रहण करेगी और उचित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगी।

अध्याय 3
ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल का वहन

9. इस अध्याय की प्रयोज्यता— यह अध्याय उन सभी पोतों, जिनमें 500 सकल टनभार से कम वजन वाले

पोत भी शामिल हैं, पर लागू होता है जो ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल ले जा रहे हैं।

10. **वहन संबंधी अपेक्षाएं**— (1) ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल का वहन इस अध्याय के अनुसार के सिवाय प्रतिषेध है;

(2) ठोस रूप में थोक खतरनाक माल का वहन आईएमडीजी संहिता और आईएमएसबीसी संहिता के संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन से, "आईएमएसबीसी संहिता" अभिव्यक्ति से यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता अभिप्रेत, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव MSC.268(85) द्वारा अपनाया गया है।

(3) खतरनाक माल ले जाने वाले पोतों को सोलास विनियम II-2/19 में यथा विनिर्दिष्ट विशेष अपेक्षाओं का पालन करना होगा और नियमों का पालन सुनिश्चित होने पर, सक्षम अधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन उपबंध-1 के अनुसार अनुपालन दस्तावेज़ जारी करेगा।

(4) इस अध्याय के नियमों के पूरक में, प्रशासन अधिनियम की धारा 301 के अधीन निम्नलिखित पर नोटिस, सर्कुलर, आदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकता है:—

(क) पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल से जुड़ी घटनाओं से संबंधित सुसंगत आपातकालीन प्रतिक्रिया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव (एमएससी.1/सर्क.1588) द्वारा, यथा संशोधित, अपनाए गए खतरनाक माल (ईएमएस गाइड) ले जाने वाले पोतों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के मानक के अनुसार तैयार किया जाएगा;

(ख) पैकेज्ड रूप में खतरनाक माल से जुड़ी घटनाओं से संबंधित चिकित्सीय प्राथमिक उपचार खतरनाक माल से जुड़ी दुर्घटनाओं में उपयोग के लिए 'चिकित्सीय प्राथमिक उपचार दिशा-निर्देश(एमएफएजी)' के अनुसार प्रदान किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा प्रकाशित आईएमडीजी संहिता के पूरक में दिया गया है।

11. **दस्तावेज**— (1) ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल ले जाने वाले सभी पोतों के पास अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज होंगे और ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल के वहन से संबंधित दस्तावेजों के लिए माल के थोक कार्गो पोत परिवहन नाम का उपयोग किया जाएगा तथा अकेले व्यापार नामों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल ले जाने वाले पोतों के पास--

(क) एक विशेष सूची या माल सूची होगा; या

(ख) एक विस्तृत नौभरण योजना होगी।

जिसमें पोत पर विद्यमान मान खतरनाक माल और उनकी अवस्थिति की जानकारी और ऐसे दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति रवाना होने से पहले क्षेत्राधिकार वाले संबंधित पत्तन देश प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

12. **नौभरण और पृथक्करण**-- (1) ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल को माल के स्वरूप के अनुसार सुरक्षित और उचित रूप से लदान और नौभरण किया जाएगा और असंगत माल को एक दूसरे से पृथक किया जाएगा।

(2) ऐसा कोई भी कार्गो जिसमें स्वतः गर्मी आ सकती है अथवा ज्वलन हो सकती है, का तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक आग लगने की संभावना को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त सावधानियां न बरती जाएं और जहां लदान भारत के किसी पत्तन से हो रहा हो, वहां लदान के लिए पत्तन देश प्राधिकारी से आवश्यक

अनुमति लेनी होगी।

(3) ऐसे कार्गो, जिनसे खतरनाक वाष्प निकलती हो, उन्हें पूर्णत: हवादार कार्गो स्थान में रखा जाएगा।

13. **रिपोर्टिंग**— जहां ठोस रूप में थोक में खतरनाक माल के पोत से गिर जाने या संभावित क्षति से संबंधित कोई घटना होती है, तो ऐसी घटना की रिपोर्टिंग नियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से तथा उसके अनुसार की जाएगी।

अध्याय 4
थोक में खतरनाक तरल रसायन ले जाने वाले पोतों का निर्माण और उपकरण

14. **इस अध्याय का अनुप्रयोग**— जब तक अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों और विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, यह अध्याय 1 जुलाई 1986 को या उसके बाद निर्मित केमिकल टैंकरों पर लागू होता है, जिसमें 500 सकल टनभार से कम वाले टैंकर भी शामिल हैं।

15. **मरम्मत, फेरबदल, आशोधन, सज्जीकरण बदलाव और रूपांतरण** — (1) कोई भी केमिकल टैंकर, चाहे वह किसी भी तारीख को निर्मित हो, यदि उसमें मरम्मत, फेरबदल, आशोधन और सज्जीकरण बदलाव किया जाता है, तो उसे उन अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखना होगा जो ऐसी मरम्मत, फेरबदल, आशोधन या सज्जीकरण बदलाव से पहले उस पोत पर लागू थीं:

परन्तु यह कि 1 जुलाई 1986 से पहले निर्मित किसी रसायनिक टैंकर में यदि बड़े पैमाने पर मरम्मत, फेरबदल, आशोधन और सज्जीकरण बदलाव किया जाता है, तो उसे 1 जुलाई 1986 को या उसके बाद निर्मित पोत के लिए तय अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जहाँ तक प्रशासन इसे उचित और व्यावहारिक समझे।

(2) निर्माण की तारीख पर ध्यान दिए बिना, किसी पोत को यदि रासायनिक टैंकर में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे उस तारीख को निर्मित रासायनिक टैंकर माना जाएगा जिस तारीख को उसका रूपांतरण आरंभ हुआ था।

16. **रासायनिक टैंकर के लिए अपेक्षाएं**—(1) रासायनिक टैंकर को खतरनाक रसायनों को थोक में ले जाने वाले पोतों के निर्माण और उपकरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा और तदनुसार उसे प्रमाणित किया जाना होगा।

(2) उप-नियम (1) के अतिरिक्त ऐसे रासायनिक टैंकर को अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लागू अपेक्षाओं का भी पालन करना होगा तथा तदनुसार उसका सर्वेक्षण तथा प्रमाणन किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अनुसार प्रमाणित रासायनिक टैंकर 'वाणिज्य पोत वहन (पत्तन देश नियंत्रण और ध्वज देश कार्यान्वयन) नियम, 2026' के अधीन पत्तन देश नियंत्रण के अधीन होगा।

अध्याय 5

थोक में तरल गैस वाहक पोतों का निर्माण और उपकरण

17. इस अध्याय का लागू होना— यह अध्याय, जब तक कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, 1 जुलाई 1986 को या उसके बाद निर्मित गैस कैरियर, 500 सकल टनभार के कम वाले पोतों सहित, पर लागू होता हैं।

18. मरम्मत, फेरबदल, आशोधन, सज्जीकरण बदलाव और रूपांतरण — (1) कोई भी गैस कैरियर, चाहे वह किसी भी तारीख को निर्मित हो, यदि उसमें मरम्मत, फेरबदल, संशोधन और उससे जुड़ी सज्जीकरण बदलाव की जाती है, तो उसे उन अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखना होगा जो ऐसी मरम्मत, फेरबदल, आशोधन या सज्जीकरण बदलाव से पहले उस पोत पर लागू थीं:

परन्तु यह कि 1 जुलाई 1986 से पहले निर्मित किसी गैस कैरियर में बड़े पैमाने पर मरम्मत, फेरबदल और आशोधन तथा सज्जीकरण बदलाव किया जाता है, तो उसे 1 जुलाई 1986 को या उसके बाद निर्मित पोत के लिए तय अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जहाँ तक प्रशासन इसे उचित और व्यावहारिक समझे।

(2) कोई पोत, जिसे गैस कैरियर में परिवर्तित किया जाता है, चाहे वह किसी भी तारीख को निर्मित हो, उसे उसी तारीख को निर्मित गैस कैरियर माना जाएगा जिस तारीख को ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ था।

19. गैस कैरियर संबंधी अपेक्षाएं— (1) गैस कैरियर को 'बड़ी मात्रा में तरल गैस वाहन पोतों के निर्माण और उपकरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संहिता' की अपेक्षाओं का पालन करना होगा और उसी के अनुसार उसे प्रमाणित किया जाना होगा।

(2) उप-नियम (1) के अतिरिक्त, ऐसे गैस कैरियर को अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लागू अपेक्षाओं का भी पालन करना होगा तथा तदनुसार उसका सर्वेक्षण तथा प्रमाणन किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अनुसार प्रमाणित गैस कैरियर 'वाणिज्य पोत वहन (पत्तन देश नियंत्रण और पत्तन देश कार्यान्वयन) नियम, 2026' के अधीन पत्तन देश नियंत्रण के अध्यधीन होगा।

अध्याय 6

पोतों पर पैकेज्ड विकिरणित परमाणु ईंधन, प्लूटोनियम और उच्च स्तर के रेडियोधर्मी अपशिष्ट के वहन के लिए विशेष अपेक्षाएं

20. इस अध्याय का अनुप्रयोग— यह अध्याय–

(क) निर्माण की तारीख पर ध्यान दिए बिना, सभी पोतों, 500 सकल टन से कम वजन वाले पोत सहित, पर लागू होता है, जो आईएनएफ कार्गो के वहन में लगे हैं;

(ख) युद्धपोतों, नौसेना के सहायक पोतों या केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालन वाले अन्य पोतों पर लागू नहीं होता है, जिनका उपयोग तत्समय केवल सरकारी गैर-वाणिज्यिकीकरण सेवा के लिए किया जा रहा हो:

परन्तु यह कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि आईएनएफ कार्गो वाहक ऐसे पोत इस अध्याय और आईएनएफ संहिता के अनुरूप उस रीति से कार्य करें, जहां तक उचित और व्यावहारिक हो।

21. आईएनएफ कार्गो वाहक पोतों संबंधी अपेक्षाएं–– (1) आईएनएफ कार्गो ले वाहक पोत को आईएनएफ संहिता की अपेक्षाओं का पालन करना होगा और उसे तदनुसार प्रमाणित किया जाना होगा।

(2) उप-नियम (1) के अतिरिक्त, ऐसे पोत को अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लागू अपेक्षाओं का भी पालन करना होगा तथा तदनुसार उसका सर्वेक्षण तथा प्रमाणन किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अनुसार प्रमाणित पोत, वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तन देश नियंत्रण और ध्वज देश कार्यान्वयन) नियम, 2026 के अधीन पत्तन देश नियंत्रण के अध्यधीन होगा।

स्पष्टीकरण–– इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "आईएनएफ संहिता" अभिव्यक्ति से समय-समय पर यथा संशोधित है पोतों पर पैकेज किए गए विकिरणित परमाणु ईंधन, प्लूटोनियम और उच्च स्तर के रेडियोधर्मी अपशिष्टों के सुरक्षित वहन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संहिता अभिप्रेत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव एमएससी.88(71) द्वारा अपनाया गया है।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

22. कार्यान्वयन और प्रवर्तन–– (1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त या धारा 9 के अधीन अधिसूचित सर्वेक्षक इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सुसज्जित और अपेक्षाओं की जांच करने के लिए पोत का सर्वेक्षण करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त सर्वेक्षक, शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पोत पर चढ़ सकता है।

(3) स्वामी, कंपनी, मास्टर, पोतवणिक या किसी अन्य संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा इन नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन या अनुपालन न करना अधिनियम के अंतर्गत शक्ति का दायी होगा।

23. **फीस**–– अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण और प्रमाणन के लिए फीस अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

उपाबंध-1

[नियम 5(3) और नियम 10(1) देखें]

अनुपालन दस्तावेज़
खतरनाक माल वाहक पोतों हेतु विशेष अपेक्षाएं

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974, यथा संशोधित, के आईएमडीजी II-2/19.4 की अपेक्षा के अनुसरण में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी।

पोत का नाम ----------

विशिष्ट नंबर या अक्षर ----------

रजिस्ट्री का पत्तन ----------

पोत का प्रकार ----------

आईएमओ नंबर (यदिलागू हो) ----------

यह प्रमाणित जाता किया है

1. यह कि पाया गया है कि उपर्युक्त पोत का निर्माण और उपकरण, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974, यथा संशोधित, के विनियमन II- 2/19 के उपबंधों का अनुपालन करते हैं; और

2. यह कि पोत उन श्रेणियों के खतरनाक माल के वहन के लिए उपयुक्त है जैसा कि परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है, (आई एम एस बी सी) कि अलग-अलग पदार्थों, सामग्रियों या वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता के किसी भी नियम का पालन किया जाए।

यह दस्तावेज ------- तक वैध है ----------

में जारी किया गया ----------

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

टिप्पण: श्रेणी 6.2 और 7 के खतरनाक माल के वहन के लिए, और आईएमडीजी संहिता के अध्याय 3.4 में, यथा अपेक्षित, सीमित मात्रा में खतरनाक माल के वहन के लिए, और आईएमडीजी संहिता के अध्याय 3.5 में यथा अपेक्षित, और छूट प्राप्त मात्रा के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट आईएमडीजी II-2/19 में कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं हैं।

उपाबंध - 2

[नियम 7(3) देखें]

खतरनाक माल पैकेजिंग परीक्षण केंद्र से अनुमोदन की प्रक्रिया

1. कोई भी आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केंद्र, निरीक्षण और प्रशासन से अनुमोदन के लिए प्रशासन और क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य समुद्री विभाग से बात करेगा।

2. इसमें विनिर्दिष्ट जांच शीट के अनुपालन का प्रत्यापन करने पर, इस संबंध में प्रशासन किसी आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केंद्र को अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केन्द्र के आकलन और अनुमोदन के लिए जांच पत्र

क्रम संख्या	अपेक्षाएं	अनुपालन (आईएमडीजी संहिता)	टिप्पणियाँ (दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न किए जाने हैं)	दस्तावेज़ का उपाबंध क्रमांक और पृष्ठ क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	मूलभूत अपेक्षा			
1	संगठन का नाम (पैकेजिंग परीक्षण केंद्र)			
2	आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केंद्र के स्वामी संगठन के स्वामियों/निदेशकों/मालिकों /न्यासियों आदि के नाम।			

3	संगठन (कंपनी/सोसायटी आदि) के पंजीकरण की तारीख		1. संगठन के निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें। 2. संगम अनुछेदों/ आदेश या समतुल्य दस्तावेजों के ज्ञापन की प्रति संलग्न करें (यथा लागू हो)	
4	'भारत के कोष' के माध्यम से अधिकार क्षेत्र वाले एमएमडी के नाम प्रति दौरा ₹3000/- की फीस का ऑनलाइन ब्यौरा।	डीजीएस के 2010 के सर्कुलर नंबर 13 (यथा संशोधित) की मद सं. 33 (प्रत्येक दौरा पर विविध सर्वेक्षण के लिए फीस) का संदर्भ लें।		
5	संपर्क के लिए पता 1. टेलीफ़ोन 2. फ़ैक्स 3. ई-मेल			
6	पैकेजिंग परीक्षण केन्द्र का पता 1. टेलीफ़ोन 2. फ़ैक्स 3. ई-मेल			
7	सुसंगत दस्तावेज़ों के साथ परिसर का खाका	खाका योजना की प्रति संलग्न करें।		
8	पैकेजिंग परीक्षण केंद्र के परिसर की स्वामित्व से जुड़ी जानकारी (जैसे पट्टे पर लिया गया, अपना स्वामित्व, आदि)।	पट्टा विलेख की वैधता की अवधि: क्या पट्टा विलेख में पट्टे को आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने का उपबंध है?	यदि स्वामित्व वाला है, तो स्वामित्व के दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करें। यदि पट्टे पर है, तो संबंधित प्राधिकारी के पास समयकत: रजिस्टर्ड पट्टा विलेख की प्रति संलग्न करें।	
9	पैकेजिंग परीक्षण केंद्र के परिसर के पास संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों (यथा लागू, नगरपालिका/पंचायत/औद्योगिक आदि) से आवश्यक अनुमति होनी चाहिए।		दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण, नगर पालिका अनुज्ञप्ति आदि, यथा लागू, संलग्न करें।	

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

ख	**कार्मिक (अर्हता, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव)**			
1.	<u>सक्षम व्यक्ति</u> [पैकेजिंग परीक्षण केंद्र के टीम लीडर] अर्हता और अनुभव - क. 2nd मेट एफजी सीओसी होल्डर या फ़िज़िक्स या इंजीनियरिंग में स्नातक, और 5 वर्ष का अनुभव।	नाम अनुभव	प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
	<u>ख.</u> आईएमडीजी का पाठ्यक्रम पूरा किया हो। ग. आईएमडीजी पैकेज के परिक्षण में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।			
2.	<u>तकनीकी प्रमुख</u> अर्हता और अनुभव - 1. विज्ञान और या इंजीनियरिंग में सनातक - 2. आईएमडीजी का पाठ्यक्रम पूरा किया हो- 3. आईएमडीजी पैकेज के परिक्षण में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	नाम अनुभव	प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
3.	प्रशिक्षण ब्यौरा के साथ स्टाफ़ की सूची केन्द्र में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त प्रयोगशाला स्टाफ़ की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, जिन्होंने आईएमडीजी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।	आईएमडीजी संहिता का अध्याय1.3.1 और अध्याय 1.4 देखें।	प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
ग	**अवसंरचना**			
	परिसर में उचित और स्थायी छत के साथ स्थायी निर्माण होना चाहिए, और यह कोई अस्थायी ढांचा या अस्थायी छत नहीं होनी चाहिए।		फ़ोटो संलग्न करें, और संरचना को किसी सरकारी संगठन से अनुमोदन होना चाहिए।	
	परिसर की दीवारों पर ठीक से कोटिंग या पेंट किया होना चाहिए।			
	परिसर में ग्रेनाइट, मोज़ेक, सीमेंट कंक्रीट या इसी तरह की सामग्री से बनी आधुनिक फ़्लोरिंग होनी चाहिए।			
	परिसर में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।			
	परिसर में हवा आने-जाने या एयर कंडीशनिंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।			
	परीक्षण केन्द्र के पास यथा अपेक्षा निम्नलिखित अद्यतन /संशोधित प्रकाशन/मानक होने चाहिए: 1. परीक्षण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए गुणवत्ता मानक और मानक प्रचालन प्रक्रिया।	सुसंगत पृष्ठ	पब्लिकेशन और मानकों की पूरी सूची संलग्न करें।	

	2. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल (आईएमडीजी) संहिता, यथा संशोधित। 3. खतरनाक माल का परिवहन परीक्षण और मानदंडों का मैनुअल, यथा संशोधित, संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशें। 4. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता (सोलास) 1974 का अध्याय 7, यथा संशोधित किया गया है। 5. 1978 के प्रोटोकॉल (मारपोल 73/78) द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय पोतों से प्रदूषण रोकथाम संबंधी समझौता 1973 का उपाबंध 2, यथा संशोधित। 6. सुसंगत परीक्षणों संबंधी अद्यतन आईएसओ दस्तावेज, यथा लागू - आई एस ओ 2248, आई एस ओ 2234, आई एस ओ 535, आई एस ओ 2247			
	परीक्षण केन्द्र को 'राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला' (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसमें किए जा रहे परीक्षण का उल्लेख करने की गुंजाइश हो।	प्रमाण-पत्र की वैधता	एनएबीएल द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
	परीक्षण केन्द्र के पास आई एस ओ 9001:2015 और आई एस ओ / आई ई सी 17025 के अधीन गुणवत्ता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।	प्रमाण-पत्र तक वैध	प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
	परीक्षण केन्द्र में अग्नि शमन के ज़रूरी उपकरण होने चाहिए और संबंधित स्थानीय निकाय की मंज़ूरी, यदि अपेक्षित हो,			
	परीक्षण केन्द्र के उपकरणों के लिए नियमित और स्थापित दोष रोकथाम और परीक्षण केन्द्र के लिए वार्षिक रख-रखाव उपबंध होना चाहिए।			
	विभिन्न उपकरणों और उनके सहायक उपकरण जैसे लोड सेल, गेज, मापने वाले उपकरण, तापमान नियन्त्रण के आवधिक अंशांकन का रिकॉर्ड।	प्रमाण-पत्र .....तक वैधता	अंशांकन उचित रूप से स्वीकृत संगठनों से करवाया जाना है।	
	प्रयोगशाला द्वारा जारी किए जाने वाले यूएन प्रमाण-पत्र में सभी नकली प्रमाण-पत्र से बचने के लिए कई सुरक्षा फ़ीचर होने चाहिए और सभी प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता करें परीक्षण केन्द्र की वेबसाइट पर ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा होनी चाहिए।		प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें जिसमें प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए वेबसाइट का लिंक हो।	

			प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता	
नोट, यदि कोई हो :				
आईएमडीजी पैकेजिंग परीक्षण केन्द्र में किए जाने वाले परीक्षण के लिए जांच सूची				
क्रम संख्या	**मद**	**अनुपालन की जांच करने के लिए लागू आईएमडीजी प्रावधान।**	**क्या अनुपालन हो रहा है? हाँ/ नहीं/लागू नहीं**	**टिप्पणियाँ**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
घ	परीक्षण			
घ1	ड्रॉप परीक्षण	6.1.5.3		
	तकनीकी ड्रॉप टेस्टर में पैकेजिंग को 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने और कम से कम 500 किलोग्राम का सुरक्षित कार्य भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए।			
	लिफ्टिंग की व्यवस्था से परीक्षण पैकेजिंग को छोड़ते समय कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।			
	परीक्षण पैकेज को कम से कम 2.5 मीटर की पहले से तय ऊंचाई पर रखें।			
	छोड़ने की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि परीक्षण पैकेजिंग को इस तरह छोड़ा जाए कि सतह से टकराने से पहले उसके गिरने में कोई रुकावट न आए।			
	टकराने की सतह इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि वह अपनी जगह से न हिले और इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि परीक्षण करने पर उसका आकार न बदले।			

घ2	**रिसावरोधी परीक्षण**	**6.1.5.4**	**वास्तविक आकार**	
	बाथ (पानी की टंकी) का आकार कम से कम 1.3m x 0.80m x 1m क्षमता का होना चाहिए।		कंप्रेसर की क्षमता	फोटो संलग्न करें
	एयर कंप्रेसर की क्षमता कम से कम 30 kPa होनी चाहिए।			
घ3	**आंतरिक दबाव (हाइड्रोलिक/हाइड्रोस्टैटिक) परीक्षण**	**6.1.5.5**		
	प्रेशर टेस्टर मशीन की क्षमता कम से कम 350 Kpa तक परीक्षण करने की होनी चाहिए।		क्षमता प्रेशर टेस्टर मशीन	फोटो संलग्न करें

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

घ4	**भरण परीक्षण**	6.1.5.6		
	तापमान नियंत्रण प्रणाली को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना चाहिए।			फोटो संलग्न करें
घ5	**कॉर्ब परीक्षण**	6.1.4.12.1		
	कॉब परीक्षण उपकरण की जाँच करें इस उपकरण में एक मज़बूत आधार होता है जिसकी सतह चिकनी और समतल होती है, और एक मज़बूत धातु का सिलेंडर होता है जिसका अंदरूनी व्यास 112.8 एम एम ± 0.2 एम एम (लगभग 100 cm^2 के परीक्षण क्षेत्र के बराबर) होता है। इसे प्लेट पर मज़बूती से कसने की व्यवस्था भी होती है। परीक्षण भाग के संपर्क में आने वाला सिलेंडर का किनारा सपाट और मशीन से चिकना किया हुआ होना चाहिए, और उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए कि सिलेंडर परीक्षण भाग को काटे नहीं। सिलेंडर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें 10 एम एम गहराई तक पानी भरा जा सके।			फोटो संलग्न करें
	टाइमर (कम से कम 30 मिनट तक का समय मापने की क्षमता वाली स्टॉपवॉच)			फोटो संलग्न करें
	वजन करने की मशीन/तराजू (1 मिलीग्राम की सटीकता के साथ)			फोटो संलग्न करें
	मापने के लिए माप वाला बीकर/मापांकित सिलेंडर			फोटो संलग्न करें
	चिकनी सतह वाला मेटल रोलर, जिसकी चौड़ाई 200 एम एम , व्यास 90 एम एम (+/- 10 एम एम) और वज़न 10 kg (+/- 0.5 kg) हो।			फोटो संलग्न करें
नीचे दी गई मदें तभी भरनी है, जब आईबीसी पैकेजिंग का परीक्षण सुविधा केंद्र में किया जाता हो।				
घ 6	**आईबीसीएस के लिए परीक्षण प्रावधान**	6.5.6	फोटो संलग्न करें	
	किए जाने वाले परीक्षण: - कंपन, बॉटम लिफ्ट, टॉप लिफ्ट, भरण, रिसाव रोधी क्षमता परीक्षण, हाइड्रोलिक प्रेशर, ड्रॉप, टियर, टॉपल, राइटिंग।	6.5.6.3.5		
	एसडब्ल्यूएल का फोर्क लिफ्ट (न्यूनतम 10 T एसडब्ल्यूएल)			
	कंपन परीक्षण के लिए एक मशीन प्लेटफ़ॉर्म होगा जिसमें लम्बवत साइनोसॉइडल, डबल एम्प्लीट्यूड (पीक-टू-पीक डिस्प्लेसमेंट) 25 एम एम ± 5% होगा। यदि आवश्यक हो, तो प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसे रोकने वाले उपकरण लगाए जाएंगे जो लम्बवत संचलन में रुकावट डाले बिना सैंपल को प्लेटफ़ॉर्म से क्षैतिज रूप से खिसकने से रोकें।			

UCOMPLYCATE Simplifying compliance

	कंपन परीक्षण के लिए उपयोग होने वाला घातु शिम कम से कम 1.6 एम एम मोटा और 50 एम एम चौड़ा होना चाहिए। साथ ही, इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि परीक्षण करने के लिए इसे आईबीसी और परीक्षण प्लेटफ़ॉर्म के बीच कम से कम 100 एम एम तक अंदर डाला जा सके।			
	ड्रॉप परीक्षण का उपकरण ऊपर विनिर्दिष्ट घ1 जैसा ही होना चाहिए और उसकी एसडब्ल्यूएल 10 टन होनी चाहिए।			
घ 7	**परीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप**	**6.1.5.7 या 6.5.6.14 (आईबीसी के लिए)**		सैंपल प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

एमएमडी सर्वेक्षक की सिफारिशें/टिप्पणियाँ:

संलग्नकों की सूची-:

1.
2
3
4
5
6
7

प्रधान अधिकारी की सिफारिशें/टिप्पणियां:

एमएमडी का सर्वेक्षक

(हस्ताक्षर और मुहर)

प्रधान अधिकारी
एमएमडी

(हस्ताक्षर और
मुहर)

टिप्पण - जांच शीट संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान अधिकारी के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

उपाबंध-3

[नियम 8(1) और (2) देखें]

सोलास 1974 के अध्याय 7 विनियम 6 के अनुसार रिपोर्टिंग

रिपोर्ट डीजीकॉम केन्द्र को भेजी जानी है

टेलीफोन: +91-22-22614646, +91-22-22610606

फैक्स: +91-22-22613636

ईमेल: dgcoएम एम centre-dgs@nic.in

क्रम संख्या		विवरण	डेटा
(1)		(2)	(3)
1	पोत का विवरण	पोत का नाम	
		ध्वज	
		आईएमओ नंबर	
		परिचय पत्र	
2	पोत का आकार/प्रकार	लंबाई (मीटर)	
		चौड़ाई (मीटर)	
		जीटी/एनटी	
		प्रकार	
3	तारीख और समय (दिन/घंटे/मिनट)/ (देश का समय क्षेत्र)		
4	स्थिति	अक्षांश: डीडी (डिग्री) एमएम (मिनट)एन/एस (उत्तर/दक्षिण)	
		अक्षांश: डीडी (डिग्री) एमएम (मिनट) ई/डब्ल्यू (पूर्व/पश्चिम)	
		या चिन्हित स्थल चिन्ह से विकोण (वास्तविक) और दूरी (एनएल)	
5	मौसम और समुद्र की स्थिति		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

6	रेडियो संचार केन्द्र /आवृत्ति की निगरानी		
7	पोत के प्रतिनिधि या स्वामी का विवरण	नाम	
		कम्पनी	
		फोन	
		ई-मेल	
8	पोत की स्थिति/खिसकने की क्षमता: (समुद्री प्रदूषण पदार्थ के मामले में) (ढांचागत क्षति, बाढ़, आग, स्थिरता का मुद्दा; कार्गो/बैलास्ट/फ्यूल अंतरित करने की क्षमता (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो रीति (लाइटरिंग, शिप-टू-शिप, पास-पास) और बाधाएं बताएँ।		
9	दोष / क्षति / कमियाँ / सीमाएँ		
10	बोर्ड पर कार्गो का विवरण	सटीक तकनीकी नाम (एसडीएस नाम)	
		यूएन नंबर	
		आईएमओ खतरा श्रेणी (श्रेणियां)	
		निर्माता/प्रेषक /प्रेषिती	
		पैकेज के प्रकार / सीटीयू विवरण (पैकेज का प्रकार; कंटेनर/ वाहन का पंजीकरण नंबर या कंटेनर नंबर) पहचान के निशान *सहित	
		मात्रा	
		स्थिति (अक्षुण्ण/रिसाव)	
		समुद्र में व्यवहार (तैरता हुआ/डूबा हुआ/आंशिक रूप से) जलमग्न/ पायसीकृत)	
		क्या हानि निरंतर हो रही है?	
		हानि का कारण	

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

11	प्रदूषण या खतरनाक माल का विवरण जो खो गया है या खतरे में है	सटीक तकनीकी नाम (एसडीएस नाम)	
		यूएन नंबर	
		आईएमओ खतरा श्रेणी/(श्रेणियां)	
		निर्माता/प्रेषक/ प्रेषिती	
		पैकेज के प्रकार / सीटीयू विवरण (पैकेज का प्रकार; कंटेनर/ वाहन का पंजीकरण नंबर या कंटेनर नंबर) पहचान के निशान *सहित	
		मात्रा	
		स्थिति (अक्षुण्ण/रिसाव)	
		समुद्र में व्यवहार (तैरता हुआ/डूबा हुआ /आंशिक रूप से जलमग्न/ पायसीकृत)	
		क्या हानि निरंतर हो रही है?	
		हानि का कारण	
12	यदि कोई तत्काल कार्रवाई की गई हो:	रोकथाम/ शमन	
		बचाव / सुरक्षा उपाय	
		पर्यावरण की निगरानी	
		बचाव / सहायता	
13	यथा उचित कोई अन्य जानकारी। (घटना का विवरण और घटना, सहायता या बचाव कार्य में शामिल अन्य पोतों की जानकारी)		
	टिप्पण : 1. शुरुआती रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी के साथ शीघ्रतम भेजी जानी चाहिए, और शेष जानकारी बाद की रिपोर्ट में भेजें। 2. सहायता करने वाले या बचाव कार्य में लगे पोतों के मास्टर को उन मदों की रिपोर्ट देनी चाहिए व्यावहारिक हो और तटीय देश को भी सूचित करते रहना चाहिए। 3. शुरुआती रिपोर्ट में ऊपर उल्लेख की गई जानकारी भेजने के बाद, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी और घटना से संबंधित जितनी भी जानकारी देना उचित हो, वह दी जानी चाहिए। 4. मास्टर को घटनाक्रम के बारे में तटीय देश को भी सूचित करते रहना चाहिए।		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची

[नियम 23 देखें]

वाणिज्य पोत परिवहन (कार्गो खतरनाक माल का वहन) नियम, 2026 के संबंध में निर्धारित फीस

क्रम संख्या	मद	सेवा	फीस (भारतीय रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सर्वेक्षण या निरीक्षण	इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सत्यापन के लिए सर्वेक्षक का पोत पर जाना, आईएमडीजी श्रेणी 1 और श्रेणी 7 कार्गो के लदान हेतु अनापत्ति के लिए दौरे निरीक्षण टिप्पणियां पूरी होने के बाद कोई भी अपेक्षित दौरा	6,000 2,000 (प्रति दौरा)
2	प्रमाणन	अनुपालन-दस्तावेज (खतरनाक माल)	30,000
3	आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार खतरनाक माल पैकेजिंग परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन	आईएमडी पैकेजिंग परीक्षण केन्द्रों समुद्री दौरा पुनः निरीक्षण, टिप्पणियों के समाधान आदि के लिए बाद में अपेक्षित कोई भी दौरा	6,000 2,000 (प्रति दौरा)
4	छुट्टियाँ और समयोपरि फ़ीस	छुट्टी और समयोपरि (सुबह 09:30 बजे से पहले या शाम 06:00 बजे के बाद) फीस	10,000

[फा. सं. एसवाई-19014/199/2025-एमजी-भाग (12)]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2026

G.S.R. 783 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 130 and sub-section (1) of section 319 read with section 116, section 117 and clause (f) of sub-section (2) of section 123 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Carriage of Cargo) Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— Unless otherwise specified in the Act or any other rule made thereunder, these rules shall apply to—

(a) all Indian ships, except the ships covered under Part XIII of the Act, carrying or about to carry cargoes specified in these rules anywhere;

(b) all ships, other than Indian ships, carrying or about to carry cargoes specified in these rules when they are within India including coastal waters, ports or places in India;

(c) ships loading or discharging dangerous cargoes at ports in India under any law for the time being in force in India.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "Administration" means the Director General of Maritime Administration;

(c) "cargo transport unit" means a freight container, swap body, vehicle, railway wagon or any other similar unit in particular when used in intermodal transport;

(d) "cargo unit" means a vehicle, container, flat, pallet portable tank, packaged unit, or any other entity etc., and loading equipment or part thereof which belongs to the ship but is not fixed to the ship;

(e) "chemical tanker" means a cargo ship constructed or adopted and used for the carriage in bulk any liquid product listed in Chapter 17 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk, as amended;

(f) "Code for Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified Gases in Bulk" means Code for Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified gases in Bulk adopted by International Maritime Organisation Resolution A.3289 (IX), applicable to ships built after 31st October, 1976 and before 1st July, 1986;

(g) "competent authority" means the Administration or any person authorised by the Administration to perform any function under these rules;

(h) "dangerous goods" means dangerous cargoes carried in packaged form or solid form in bulk, and includes harmful substances identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods Code;

(i) "dangerous goods in solid form in bulk" means any material, other than liquid or gas, consisting of a combination of particles, granules or any larger pieces of material, generally uniform in composition, which is covered by the International Maritime Dangerous Goods Code and is loaded directly into the cargo spaces of a ship without any intermediate form of containment, and includes such materials loaded in a barge on a barge-carrying ship;

(j) "document" includes the use of electronic data processing and electronic data interchange transmission technique as an alternate aid to paper documentation as specified in chapter 5.4 of the International Maritime Dangerous Goods Code;

(k) "gas carrier" means a cargo ship constructed or adopted and used for the carriage in bulk of any liquefied gas or other product listed in Chapter 19 of the International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk;

(l) "high-level radioactive wastes" means liquid wastes resulting from the operation of the first stage extraction system or the concentrated wastes from subsequent extraction stages, in a facility for reprocessing irradiated nuclear fuel, or solids into which such liquid wastes have been converted;

(m) "International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" means the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, adopted by the International Maritime Organisation, as amended from time to time, applicable to ships built on or after 1st July, 1986;

(n) "International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk" means the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, adopted by the International Maritime Organisation, as amended from time to time, applicable to ships built on or after 1st July, 1986;

(o) "IMDG Code" means the International Maritime Dangerous Goods Code adopted by the International Maritime Organisation Resolution A.716(17) as amended from time to time;

(p) "INF Cargo" means packaged irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive wastes carried as cargo in accordance with Class 7 of the International Maritime Dangerous Goods Code;

(q) "irradiated nuclear fuel" means material containing uranium, thorium or plutonium isotopes or a combination thereof, which has been used to maintain a self-sustaining nuclear chain reaction;

(r) "marine pollutants" means substances which are subject to the provisions of Annex III of the International Convention for Prevention of Pollution from ships, 1973/1978 as amended;

(s) "MARPOL" means the International Convention for Prevention of Pollution from ships, 1973/1978, including its protocol adopted by the International Maritime Organisation, as amended from time to time;

(t) "packaged form" means the form of containment specified in the International Maritime Dangerous Goods Code;

(u) "plutonium" means the resultant mixture of isotopes of that material extracted from irradiated nuclear fuel from reprocessing;

(v) "Port State Authority" means the jurisdictional Mercantile Marine Department;

(w) "recognised organisation" means an organisation that has been assessed and approved by the Administration to perform, on its behalf, delegated statutory certification and services under mandatory International Maritime Organisation instruments and national legislation and found to comply with the Code for Recognised Organisations adopted by International Maritime Organisation Resolution MSC. 349(92), as amended.

(x) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(y) "SOLAS Convention" or "SOLAS" means the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, in force including its protocols adopted by the International Maritime Organisation and as amended from time to time;

(z) "UN number" means a serial number assigned to a dangerous substance in the International Maritime Dangerous Goods Code.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, International Convention for Safe Containers, 1972, International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, International Convention for Prevention of Pollution from ships, 1973/1978 and applicable codes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in those applicable regulations, codes and conventions, as the case may be.

UNCONTROLLED COPY Simplifying compliance

CHAPTER II

CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN PACKAGED FORM

4. Application of this Chapter.— This Chapter—

(a) applies to all the ships including ships less than 500 gross tonnage, carrying dangerous good in packaged form;

(b) does not apply to a ship's stores and equipment including salvage equipment, if any

5. Requirements for the carriage.— (1) Carriage of dangerous goods in packaged form is prohibited except in accordance with this Chapter.

(2) The carriage of dangerous goods in packaged form shall be in compliance with the relevant provisions of the IMDG Code.

(3) The ship carrying dangerous goods shall comply with special requirements specified in SOLAS Regulation II-2/19 and upon ascertaining compliance, the competent authority or the recognised organisation shall issue document of compliance as per Annexure – I.

(4) The ship carrying dangerous goods deemed to be the marine pollutant under IMDG Code shall comply with the applicable requirements as specified in Annex III of the MARPOL Convention.

(5) To supplement the provisions of this Chapter, the Administration may issue notice, circular, order or guidelines under section 301 of the Act on the following, namely:—

(a) emergency response relevant to incidents involving dangerous goods in packaged form, which shall be drawn up to the standard of emergency response procedures for ships carrying dangerous goods (EmS guide) adopted by the International Maritime Organisation Resolution (MSC.1/Circ.1588) as amended;

(b) medical first aid relevant to incidents involving dangerous goods in packaged form, shall be provided in accordance with Medical First Aid Guide (MFAG) for use in accidents involving dangerous goods which is reproduced in the supplement of the IMDG Code, published by International Maritime Organisation.

(6) The carriage of dangerous goods packages, including intermediate bulk container, shall be marked and labelled as per Chapter 5.2 of the IMDG Code and the quality of the labels used shall be of appropriate standards to ensure that they remain clearly visible and intact for the duration of the voyage.

(7) The carriage of cargo transport units and bulk containers containing dangerous goods, shall be placarded and marked as per Chapter 5.3 of the IMDG Code and the quality of the placards used shall be of appropriate standards to ensure that they remain clearly visible and intact for the duration of the voyage.

(8) All shore-side personnel, as defined in section 1.3.1.2 of the IMDG Code, engaged in duties relating to the carriage, handling, stowage,

UNCOMPYGATE Simplifying Compliance

documentation, segregation and transport of dangerous goods by sea shall undergo training in accordance with the requirements prescribed in Chapter 1.3 and 1.4 of the IMDG Code.

(9) Certain IMDG class cargoes,—

(a) if packed in limited quantities for its transportation, shall comply with the provisions of Chapter 3.4 of the IMDG Code;

(b) may be shipped in the excepted quantities, provided it complies with the provisions of Chapter 3.5 of the IMDG Code.

(10) Any dangerous goods to which special provisions as per Chapter 3.3 of the IMDG Code apply, shall comply with the said provisions.

(11) For the carriage of dangerous goods, the Administration, on being satisfied with the safety measures for the entire duration of the voyage, may permit reclassification or transportation of such goods.

6. Documents - In addition to any other documents as may be required under the Act or the rules and regulations made thereunder, the following documents shall be required for the transportation of dangerous goods, namely:–

(a) transport information relating to carriage of dangerous goods in packaged form and the container or vehicle packing certificate along with dangerous goods declaration in accordance with relevant provisions of the IMDG Code and a certified copy of same shall be made available to the jurisdictional Port State Authority;

(b) special list, manifest or stowage plan, for ships setting forth, in accordance with the relevant provisions of the IMDG Code, the dangerous goods on board and the location thereof and a certified copy of such documents shall be made available to the jurisdictional Port State Authority;

(c) documentation as per SOLAS Chapter VII, Annex III of the MARPOL Convention and Chapter 5.4 of the IMDG Code.

7. Cargo securing, stowage and segregation requirements.— (1) The shipper and master of the ship loading dangerous goods in packaged form shall ensure that the dangerous goods being loaded on ship are packed, labeled and classified as per the applicable provisions of the IMDG Code, as amended.

(2) Each ship carrying dangerous goods in packaged form consisting of cargo units and cargo transport units, shall be—

(a) loaded and stowed in compliance with the applicable provisions of the IMDG Code;

(b) secured as per the cargo securing manual as approved by the competent authority or the recognised organisation which shall be drawn up in accordance with the guidelines developed by the International Maritime Organisation Resolution (MSC.1/Circ.1353) as amended.

(3) Packing of each IMDG cargo unit including intermediate bulk containers and large packings, shall be certified by an IMDG packaging

testing Centre, which shall be an entity or organisation approved by the Administration in accordance with the IMDG Code and approval of IMDG packaging testing centre shall be carried out as specified in Annexure – II.

(4) All ships loading IMDG cargo in Indian ports shall submit stowage plan sufficiently in advance to the jurisdictional Mercantile Marine Department and the surveyors of the Mercantile Marine Department may inspect such ships to ensure compliance with the relevant applicable requirements:

Provided that with regard to carriage of IMDG Class 1 and Class 7 cargo as defined in IMDG code, the surveyor appointed under section 8 of the Act, shall inspect the stowage aspects on the ship and issue no objection for the ship to sail out of the port with such cargo.

(5) Explosives under IMDG Class 1, Division 1.1 shall be loaded or discharged only at places or ports designated and approved by the Chief Controller of Explosives under the Explosives Act 1884 (4 of 1884) or any of the establishments of Armed Forces of the Union of India, and Ordnance Factories, in accordance with rules made by the Central Government, from time to time

(6) Radioactive materials under IMDG Class 7 shall be loaded or discharged only at places or ports designated, approved and supervised by the competent authority under the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act, 2025 (36 of 2025).

(7) Carriage of dangerous goods deemed to be marine pollutant as classified in IMDG Code, shall be stowed and secured as per the IMDG Code and Annex III of the MARPOL Convention.

(8) Wastes containing dangerous goods shall be transported under the provisions of the appropriate class, considering their hazards and the criteria in the IMDG Code and wastes not otherwise subject to the IMDG Code but covered under the Basel Convention, 1989, may be transported under class 9 and comply with applicable provisions of the IMDG Code.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "Basel Convention" means Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal,1989 adopted by United Nations, as amended from time to time.

8. Reporting.— (1) When an incident takes place involving the loss or likely loss overboard of dangerous goods in packaged form into the sea, the master or other person having charge of the ship, shall report the particulars of such incident, at the earliest but not later than twenty-four hours and to the fullest extent possible as per details specified in Annexure – III and in case of Indian ship in foreign waters, it shall also report to the nearest Coastal State and to the State which is affected or likely to be affected by the incident.

(2) The reporting of such incident shall be in accordance with Annexure – III, in pursuance of and in conformity of guideline involving dangerous goods or harmful substances or marine pollutants, adopted by

International Maritime Organisation Resolution A.851(20), as amended.

(3) Every incident under this rule shall be dealt with as per the applicable provisions of the emergency response procedures for ships carrying dangerous goods (EmS guide) and Medical First Aid Guide (MFAG), as specified in the supplement to IMDG Code, as amended.

(4) In the event of the ship referred to in sub- rule (1) being abandoned, or in the event of a report from such a ship being incomplete or unobtainable, in addition to the existing obligation on the master, the company, as defined in SOLAS Regulation IX/1.2, shall, to the fullest extent possible, assume the obligations placed upon the master, and shall ensure adequate reporting.

CHAPTER III

CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN SOLID FORM IN BULK

9. Applicability of this Chapter.— This Chapter applies to all the ships including ships less than 500 gross tonnage, carrying dangerous good in solid form in bulk.

10. Requirements for the carriage.— (1) The carriage of dangerous goods in solid form in bulk is prohibited except in accordance with this Chapter

(2) The carriage of dangerous goods in solid form in bulk shall be in compliance with the relevant provisions of the IMDG Code and the IMSBC Code.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "IMSBC Code" means the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, adopted by the International Maritime Organisation Resolution MSC.268(85), as amended.

(3) The ships carrying dangerous goods shall comply with special requirements as specified in SOLAS Regulation II-2/19 and upon ascertaining compliance, the competent authority or the recognised organisation shall issue document of compliance as per Annexure – I.

(4) To supplement the provisions of this Chapter, the Administration may issue notice, circular, order or guidelines under section 301 of the Act on the following, namely:—

(a) emergency response relevant to incidents involving dangerous goods in solid form in bulk, which shall be drawn up to the standard of emergency response procedures for the ships carrying dangerous goods (EmS guide) adopted by the International Maritime Organisation Resolution (MSC.1/Circ.1588) as amended;

(b) medical first aid relevant to incidents involving dangerous goods in solid form in bulk, shall be provided in accordance with Medical First Aid Guide (MFAG) for use in accidents involving dangerous goods which is reproduced in the supplement of the IMDG Code published by International Maritime Organisation.

11. Documents.— (1) All ships carrying dangerous goods in solid form in bulk shall have documents as may be required under the Act or the rules and regulations made thereunder and for documents relating to the carriage of dangerous goods in solid form in bulk, the bulk cargo shipping name of the

goods shall be used and trade names alone shall not be used.

(2) The ships carrying dangerous goods in solid form in bulk shall have—

(a) a special list or manifest; or

(b) a detailed stowage plan,

setting forth the dangerous goods on board and the location thereof and a certified copy of such documents shall be made available before departure to the jurisdictional Port State Authority.

12. Stowage and segregation.— (1) Dangerous goods in solid form in bulk shall be loaded and stowed safely and appropriately in accordance with the nature of the goods and the incompatible goods shall be segregated from one another.

(2) Any cargo which is liable to spontaneous heating or combustion, shall not be carried unless adequate precautions have been taken to minimise the likelihood of the outbreak of fire and where loading is from a port in India, necessary permission for loading shall be taken from Port State Authority.

(3) Cargoes which gives off dangerous vapors, shall be stowed in a well-ventilated cargo space.

13. Reporting.— Where any incident takes place involving the loss or likely loss overboard of dangerous goods in solid form in bulk, the reporting of such incident shall be made in accordance with, and in the manner as specified under rule 8.

CHAPTER IV

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS LIQUID CHEMICALS IN BULK

14. Application of this Chapter.— This Chapter unless otherwise expressly provided in the Act or the rules and regulations made thereunder, applies to chemical tankers constructed on or after 1st July, 1986, including those less than 500 gross tonnage.

15. Repairs, alterations, modifications, outfitting and conversion.— (1) Any chemical tanker, irrespective of the date of construction, which undergoes repairs, alterations, modifications and outfittings related thereto, shall continue to comply with the requirements applicable to the ship before such repairs, alterations, modifications or outfittings related thereto:

Provided that a chemical tanker constructed before 1st July, 1986, which undergoes repairs, alterations and modifications of a major character and outfitting related thereto, shall meet the requirements for a ship constructed on or after 1st July, 1986, in so far as the Administration deems reasonable and practicable.

(2) A ship, irrespective of the date of construction, which is converted to a chemical tanker shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which the conversion commenced.

16. Requirements for chemical tanker.—(1) A chemical tanker shall comply with requirements of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, and be certified accordingly.

(2) In addition to sub-rule (1), such chemical tanker shall also comply with applicable requirements specified under applicable rules made under the Act related to survey, audit and certification, and be surveyed and certified accordingly.

(3) A chemical tanker certified as per sub-rules (1) and (2) shall be subject to the Port State Control under the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026.

CHAPTER V

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQUIFIED GASES IN BULK

17. Application of this Chapter.— This Chapter, unless otherwise expressly provided under the Act or the rules and regulations made thereunder, applies to gas carriers constructed on or after 1st July, 1986, including those less than 500 gross tonnage.

18. Repairs, alterations, modifications, outfitting and conversion.— (1) Any gas carrier, irrespective of the date of construction, which undergoes repairs, alterations, modifications and outfittings related thereto, shall continue to comply with the requirements applicable to the ship before such repairs, alterations, modifications or outfittings related thereto:

Provided that a gas carrier constructed before 1st July, 1986, which undergoes repairs, alterations and modifications of a major character and outfitting related thereto, shall meet the requirements for a ship constructed on or after 1st July, 1986, in so far as the Administration deems reasonable and practicable.

(2) A ship, irrespective of the date of construction, which is converted to a gas carrier shall be treated as a gas carrier constructed on the date on which the conversion commenced.

19. Requirements for gas carriers.— (1) A gas carrier shall comply with the requirements of the International Code for Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, and be certified accordingly.

(2) In addition to sub-rule (1), such gas carrier shall also comply with applicable requirements specified under applicable rules made under the Act related to survey, audit and certification, and be surveyed and certified accordingly.

(3) A gas carrier certified as per sub-rules (1) and (2) shall be subject to the Port State Control under the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026.

CHAPTER VI

SPECIAL REQUIREMENTS FOR CARRIAGE OF PACKAGED IRRADIATED NUCLEAR FUEL, PLUTONIUM AND HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTE ON BOARD SHIPS

20. Application of this Chapter.— This Chapter—

a. applies to all the ships, irrespective of the date of construction, including those less than 500 gross tonnage, engaged in carriage of INF cargo;

b. does not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by the Central or State Government, and used for the time being only on Government non-commercial service:

Provided that the Administration shall ensure that such ships carrying INF cargo act in the manner, consistent with this Chapter and the INF Code so far as reasonable and practicable.

21. Requirements for ships carrying INF cargo.— (1) A ship carrying INF cargo shall comply with requirements of the INF Code, and be certified accordingly.

(2) In addition to sub-rule (1), such ship shall also comply with all other applicable requirements specified under applicable rules made under the Act related to survey, audit and certification, and be surveyed and certified accordingly..

(3) A ship certified as per sub-rules (1) and (2), shall be subject to the Port State Control under the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026.

Explanation.— For the purposes of this Chapter, the expression "INF Code" means International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and high-level radioactive wastes on board ships, adopted by the International Maritime Organisation Resolution MSC.88(71), as amended from time to time

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

22. Implementation and enforcement.— (1) The surveyor appointed under section 8 or notified under section 9 of the Act, shall survey the ship to check fittings and requirements as required under these rules.

(2) The surveyor appointed under section 8 of the Act, upon receipt of complaint or otherwise, may board the ship to verify compliance with requirements under these rules.

(3) Any violation or non-compliance with these rules, by the owner, company, master, shipper or any other relevant service provider, shall be liable to penalty under the Act.

23. Fee.— The fee for survey and certification to be conducted by surveyors appointed under section 8 of the Act shall be as specified in the Schedule

Annexure - I

[*See rule 5(3) and rule 10(1)*]

Document of Compliance

Special Requirements for Ships carrying Dangerous Goods

Issued in pursuance of the requirement of regulation II-2/19.4 of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, as amended, under the authority of the Government of India

Name of Ship ----------
Distinctive Number or letters ----------
Port of Registry ----------
Ship Type ----------
IMO Number (if applicable) ----------

UNCOMPYCAT Simplifying compliance

THIS IS TO CERTIFY

1. that the construction and equipment of the above-mentioned ship have been found to comply with the provisions of regulation II- 2/19 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and

2. that the ship is suitable for the carriage of those classes of dangerous goods as specified in the appendix hereto, subject to compliance with any provisions in the International Maritime Dangerous (IMDG) Code and the International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code for individual substances, materials or articles.

This document is valid until ----------

Issued at ----------

(Signature of authorised official issuing the certificate)

Note: There are no special requirements in the above mentioned regulation II-2/19 for the carriage of dangerous goods of classes 6.2 and 7, and for the carriage of dangerous goods in limited quantities, as required in chapter 3.4 of the IMDG Code, and excepted quantities, as required in chapter 3.5 of the IMDG Code

Annexure - II

[*See rule 7(3)*]

Process for approval of Dangerous Goods Packaging Test Centre

1. Any IMDG Packaging Test Centre shall approach the Administration and jurisdictional Mercantile Marine Department, for an inspection and approval from the Administration.

2. Upon verification of compliance with the scrutiny sheet specified herein, the Administration may issue a Conformance Certificate to an IMDG Packaging Test Centre in this regard.

Scrutiny Sheet for Assessment and Approval of IMDG Packaging Test Centre's

Sr. No.	Requirements	Compliance (IMDG code)	Remarks (Documentary evidence to be attached)	Annexure No. & Page no of Documentary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	BASIC REQUIREMENTS			
1	Name of the Organisation (Packaging Test Centre's)			
2	Name of the Owners/Directors/Proprietor/Trustees etc. of the Organisation owing the IMDG Packaging testing Centre			
3	Date of Registration of the organisation (Company/Society etc.,)		1. Copy of certificate of certificate incorporation of the organisation to be attached. 2. Copy of memorandum and Articles of association /Order equivalent documents to be attached (as applicable)	
4	Fee Online payment details vide Bharat Kosh for Rs.3000/-per visit in favour of the jurisdictional MMD	Ref item no. 33(fee for miscellaneous surveys per visit) of third office DGS Circular No.13 of 2010 (or as amended)		
5	Address for Communication 1. Telephone 2. Fax 3. E-mail			
6	Address of the Packaging Test Centre 1. Telephone 2. Fax 3. E-mail			
7	Layout of the Premises with relevant documents	Copy of the layout plan to be attached		

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

8	Ownership details of the premises of the packaging testing Centre leased / owned etc.	Lease deed valid up to: Whether lease deed has enabling provision for renewal of lease for further period?	If owned copy of the Ownership documents to be attached. If leased copy of leased deed duly registered with the appropriate authority to be attached.	
9	The Packaging testing Centre premises to have necessary permissions from the concerned local authorities (Municipal/ Panchayat/ Industrial etc. as applicable)		Shop and Establishment Registration, Municipality license, etc. as applicable to be attached.	

B	**PERSONNEL (Qualification, Training and Practical Experience)**			
1.	Competent Person [Team Leader of the Packaging Test Centre's] Qualification and Experience- a. 2nd Mate FG COC holder or Graduate in Physics or Engineering with 5 years' Experience.	Name Experience	Copy of Certificates to be attached	
	b. Completed course on IMDG. c. At least five years' experience in testing of IMDG packages.			
2.	Technical Head Qualification and Experience - 1. Graduate in Science or Engineering- 2. Completed course on IMDG 3. At least two years' experience in testing of IMDG packages.	Name Experience	Copy of Certificates to be attached	
3.	Staff list with the training details	refer IMDG Code	Copy of Certificates to	

UNOFFICIAL Simplifying compliance

	Centre to have adequate number of technically qualified laboratory personnel who have completed the course IMDG	chapter 1.3.1 & chapter 1.4.	be attached	
C	**INFRASTRUCTURE**			
	The premises to have permanent construction with proper and permanent roofing and not be a temporary structure/temporary roof		Photograph to be attached, structure to be approved by any government organisation.	
	The walls of the premises are to be properly coated/painted			
	The premises to have modern flooring of granite or mosaic or cement concrete or similar material			
	The premises to have adequate lighting			
	The premises to be adequately ventilated/air condition.			
	The testing Centre shall have the following updated/amended publications/standards as required: 1. Quality Manual and Standard Operating Procedures for the various processes associated with the testing.	Relevant Pages	Complete list of publications & standards to be attached	
	2. International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, as amended. 3. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria, as amended. 4 Chapter VII of International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended 5. Annex II of International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78), as amended. 6. Updated ISO Documents for relevant tests as applicable- ISO 2248, ISO 2234, ISO 535, ISO 2247			

UNCOMPLYCATED Simplifying Compliance

	The testing Centre to be accredited by the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL) with scope to mention the tests being conducted.	Certificate valid till	Certificate of Accreditation by NABL is to be attached	
	The testing Centre to be in possession of quality certification under ISO 9001:2015 and ISO/IEC 17025	Certificate valid till	Certificate is to be attached	
	The testing Centre needs to have necessary fire-fighting equipment and approval of the relevant local body if required			
	Annual maintenance contract for regular and established preventive, breakdown and for the testing Centre equipment.			
	Record of periodic calibration of various equipment and its accessories like load cell, gauges, measuring equipment, temperature controllers	Certificate valid till	Calibration is to be done from duly approved organisations	
	The UN certificate to be issued by the laboratory should contain a number of security features to avoid counterfeit and authenticity of all certificates to be verified online on website of testing Centre.		Sample of certificate attached containing the link of website to check certificate authenticity	
Note if any:				

CHECKLIST FOR TESTS CONDUCTED AT THE IMDG PACKAGING TEST CENTRE

Sl. No.	**Item**	**Applicable IMDG provisions to check. compliance with**	**Whether Complying Yes/No/NA**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
D	Test			
D1	Drop Test	6.1.5.3		
	Mechanical Drop Tester should be capable of lifting packaging to height of 2.5 meters and a minimum SWL. of 500 kgs			

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

	Lifting arrangement should not damage the test packing during release			
	Test package prior predetermined attitude of minimum 2.5 meters			
	Release mechanism to release the testing packaging in such a way that its fall is not obstructed by any way before falling to impact the surface.			
	Impact surface should be massive enough to he immovable and rigid enough to be non-deformable under test condition			
D2	**LEAKPROOFNESS TEST**	**6.1.5.4**	**Actual size**	
	Bath Size (water Tank) of capacity not less than 1.3m x 0.80 m x1 m		Capacity of compressor	Photograph to be attached
	Air compressor should have minimum capacity of 30 kpa			
D3	**INTERNAL PRESSURE (HYDRAULICHYDROSTATIC) TEST**	**6.1.5.5**		
	Capacity of Pressure Tester machine should be able to do testing not less than 350 Kpa		Capacity Pressure Tester machine	Photograph to be attached

D4	**STACKING TEST**	**6.1.5.6**		
	Temperature control should maintain temperature of 40 deg cels			Photograph to be attached
D5	**CORB TEST**	**6.1.4.12.1**		
	Check Cobb test apparatus The apparatus consists of a rigid base with a smooth, planar surface, and a rigid metal cylinder of 112.8 mm 0,2 mm internal diameter (corresponding to a test area approximately 100 cm^3) and with a means of clamping & firmly to the have plate. The edge of the cylinder in contact with the test piece shall be flat and machined smooth with a thickness sufficient to prevent the cylinder cutting into the test piece The height of the cylinder important provided it in sufficient to contain a water depth of 10 mm			Photograph to be attached

UNOMPLYCATE Simplifying Compliance

	Timer (stop watch with capability of timing at least 30 min)			Photograph to be attached
	Weighing machine/Balance (with accuracy of Img)			Photograph to be attached
	Measuring beaker/ graduated cylinder for measuring			Photograph to be attached
	Metal roller with smooth face, 200 mm wide, a diameter of 90 mm +or- 10mm and a mass of 10 Kg +or - 0,5kg.			Photograph to be attached
Below items are only to be filled if IBC packaging testing is carried out in the facility.				
D6	**TEST PROVISIONS FOR IBCS**	**6.5.6**	Photographs to be attached.	
	Tests to be carried out: - Vibration, Bottom lift, Top lift, Stacking, Leak-proofness test, Hydraulic pressure, Drop, Tear, Topple, Righting.	6.5.6.3.5		
	Fork Lift of SWL (min 10 T SWL)			
	Vibration test to have a machine platform with a vertical sinusoidal, double amplitude (peak-to-peak displacement) of 25 mm 5%. If necessary, restraining devices shall			
	be attached to the platform to prevent the specimen from moving horizontally off the platform without restricting vertical movement			
	Metal shim used for Vibration test shall be at least 1.6 mm thick, 50 mm wide, and be of sufficient length to be inserted between the IBC and the test platform a minimum of 100 mm to perform the test			
	Drop test equipment to be same as D1 above with SWL of 10 tonnes			
D7	**TEST REPORT FORMAT**	**6.1.5.7 Or 6.5.6.14 (for IBC)**		Sample certificate to be attached

Recommendations/ Comments of MMD surveyor:

List of
enclosures-1.
2
3
4
5
6
7
Recommendations/ Comments of Principal Officer:

Principal OfficerMMD
(Signature and Stamp)

Note- the Scrutiny sheet is to be forwarded through jurisdictional principal Officer

Annexure - III

[*See rule 8(1) and (2)*]

Reporting as per the Chapter VII Regulation 6 of SOLAS 1974

Report to be sent to DGCOMM Centre
Tele: +91-22-22614646, +91-22-22610606
FAX: +91-22-22613636
Email: dgcommcentre-dgs@nic.in

S.No		Particulars	Data
(1)		(2)	(3)
1	Ship details	Ship name	
		Flag	
		IMO No.	
		Call sign	
2	Ship size and type	Length(m)	
		Breadth (m)	
		GT/NT	
		Type	
3	Date and time (DD/HH/MM)/ (State time zone)		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

4	Position	Latitude: DD (Degree)MM (minutes) N/S (north/South)	
		Longitude: DD (Degree)MM (minutes) E/W (East/West)	
		Or Bearing (True) and Distance (NM) from identified Landmark	
5	Weather and sea conditions		
6	Radio communication Station/ frequencies Guarded		
7	Ship's representative or Owner details	Name	
		Company	
		Phone	
		E-mail	
8	Ship condition/ transfer capability:(in case of marine pollutant) (Structural damage, flooding, fire, stability concerns; ability to transfer cargo/ballast/fuel (Yes/No). If yes, state method (lightering, ship-to-ship, alongside) and constraints.		
9	Defects / Damage / Deficiencies/Limitations		
		Correct technical name(s) (SDS Name)	
		UN number(s)	
		IMO hazard Class(es)	

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

10	**Details of Cargo on board**	Manufacturer / Consignor / Consignee	
		Types of package / CTU details (package type; container/vehicle reg. No. or container no.) *including Identification Marks	
		Quantity	
		condition (intact/ leaking)	
		Behavior in sea (floated / sank/partially	

		submerged/ emulsified)	
		Is loss continuing	
		Cause of loss	
11	**Description of Pollution or Dangerous goods lost or at risk**	Correct technical name(s) (SDS Name)	
		UN number(s)	
		IMO hazard Class(es)	
		Manufacturer / Consignor / Consignee	
		Types of package / CTU details (package type; container/vehicle reg. No. or container no.) *including Identification Marks	
		Quantity	
		condition (intact/ leaking)	

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

		Behavior in sea (floated / sank/partially submerged/ emulsified)	
		Is loss continuing	
		Cause of loss	
12	**Immediate action taken if any:**	Containment / mitigation	
		Rescue / Safety measures	
		Environmental monitoring	
		Salvage / assistance	
13	Any other information as appropriate. (details of incident and of other Ships involved either in incident, assistance or salvage)		
	Notes: 1. The initial report be forwarded at the earliest with available information, and remaining data be sent in follow-up reports. 2. Master of assisting/salvaging ships should report items practicable and keep Coastal State informed. 3. After the transmission of the information referred to above in the initial report, as much as possible of the information essential for the protection of the marine environment as is appropriate to the incident should be reported. 4. The master should also keep the Coastal State informed of developments.		

Schedule

[*See* rule 23]

Scheduled Fees regarding Merchant Shipping (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026

Serial Number.	Item	Service	Fee (INR)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Survey or Inspection	Surveyor boarding ship for verification, as required under these Rules, including for no objection for loading of IMDG Class 1 and Class 7 cargo Any required subsequent visit for closure of observations, etc.	6,000 2,000 (per visit)

UNOFFICIAL CA Simplifying compliance

2	Certification	Document of Compliance (Dangerous Goods)	30,000
3	Approval of dangerous goods packaging test centers as per IMDG Code	Visiting IMDG packaging testing centers Any required subsequent visits for re-inspection, closure of observations, etc.	6,000 2,000 (per visit)
4	Holidays and overtime fees	Holiday and overtime (before 0930 hrs or after 1800 hrs) fees	10,000

[F. No. SY-19014/199/2025-MG-Part(12)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA